*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/बजट–14–11/2019 260 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–20/03/2020

विषयः– **फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत फुलवारीशरीफ शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु पूर्व से स्वीकृत कुल ₹2527.29700 लाख (पचीस करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार सात सौ रु०) मात्र की Storm Water Drainage योजना के कार्यान्वयन हेतु देनदारी की राशि में से वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2017–18 में फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत फुलवारीशरीफ शहर के जल जमाव की समस्या के निदान हेतु पूर्व से स्वीकृत कुल ₹2527.29700 लाख (पचीस करोड़ सताईस लाख उनतीस हजार सात सौ रु०) मात्र की Storm Water Drainage योजना को विभागीय राज्यादेश सं०– 116, दिनांक– 19.02.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०–117, दिनांक–19.02.2018 द्वारा ₹631.82425 लाख (छः करोड़ एकतीस लाख बेरासी हजार चार सौ पचीस रु०) मात्र योजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित किया जा चुका है।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 6975, दिनांक– 28.12.2019 द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ के पत्रांक– 345, दिनांक– 17.03.2020 द्वारा योजना के लिए पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति एवं प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्तम्भ– 6 के अनुरूप तत्काल ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि {4–(5+6)}
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ	Storm Water Drainage Scheme, phase- 2 from B.M-16 to Bhagat Singh Chok.	1210.89500	302.72375	450.00000	458.17125

2		Storm Water Drainage Scheme, phase- 3 from Khoja Imali to Bhagat Singh Chok.	1316.40200	329.10050	550.00000	437.3015
		कुल योग	**2527.29700**	**631.82425**	**1000.00000**	**895.47275**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक), पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक), पत्रांक– 331, दिनांक– 05.03.2020 (तृतीय अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1670, दिनांक– 03.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48, मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल–जल तथा सफाई, लघुशीर्ष– 192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष– 0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215021920102**, विषय शीर्ष– 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यो का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/बजट–14–11/2019 के पृष्ठ सं०–37/टि० पर दिनांक–19.02.2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–38/टि० पर दिनांक–20.03.2020 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–11/2019 – 260 – /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 20/03/2020

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।